राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2573/2024

गरिया बा श्याम इंटरप्राइजेज, लढ़ा कॉम्प्लेक्स गंगापुर इसके मालिक नारायण पुत्र देवा जी गाडरी, उम्र लगभग 35 वर्ष, सहाड़ा, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

महावीर ट्रेडिंग कंपनी, कसारा बाजार, गंगापुर मालिक श्रीमती कांता कुमारी पत्नी हस्तीमल जी ओस्तवाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी गंगापुर, थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा.

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मोहम्मद अमान

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

08/07/2024

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा एन.आई. प्रकरण संख्या 353/2021 में पारित दिनांक 23.07.2023 के आदेश के विरुद्ध व्यथित है, जिसके तहत शिकायतकर्ता प्रतिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 ('एन.आई. अधिनियम') की धारा 143ए के तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20% मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. सर्वप्रथम, केस फाइल का अवलोकन करने के पश्चात, मेरा विचार है कि विद्वान एसीजेएम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बहुत ही गूढ़ है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, केस फाइल की जांच की गई और इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा एन.आई. की धारा 143ए के तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया गया। अधिनियम को स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता

है कि आरोपी स्वामी नारायण चेक में उल्लिखित राशि का 20% अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान करेगा।

3. इस प्रकार एसीजेएम द्वारा आदेश यंत्रवत् पारित किया गया है, बिना किसी विवेक के और/या अन्यथा कारणों को दर्ज किए कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश क्यों दिया जाता है।

4. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें परिस्थितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसके तहत विचारण के दौरान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जा सकता है, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

> 19. पहले जो कहा गया है, उसके अधीन मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार संक्षेपित किए जा सकते हैं:
>
> क. धारा 143 ए की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन है। यह प्रावधान निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" का अर्थ "करेगा" नहीं लगाया जा सकता।
>
> ख. धारा 143 ए के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए।
>
> ग. धारा 143 ए के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड इस प्रकार हैं:
>
> > i. न्यायालय को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले की योग्यता और आवेदन के उत्तर में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव की योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। अभियुक्त की वित्तीय परेशानी पर भी विचार किया जा सकता है।
> >
> > ii. अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है।
> >
> > iii. यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया उचित पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इंकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है।

iv. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अंतरिम मुआवजा देने का मामला बनता है, तो उसे दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर भी विचार करना होगा। ऐसा करते समय न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे कि लेन-देन की प्रकृति, अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, आदि।

v. किसी दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से नहीं बताया जा सकता है। ऊपर बताए गए पैरामीटर संपूर्ण नहीं हैं।"

5. यहां दिए गए आदेश से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त मापदंडों पर विचार नहीं किया गया है।

6. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात का अनुपालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

7. परिणामस्वरूप, दिनांक 23.07.2023 का आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

8. याचिका को अनुमति दी जाती है। अंतरिम मुआवजा जमा करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम उठाए बिना ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।